कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक– (स्कूल शिक्षा)/हिन्दी/2015–16/859 दिनांकः 01.06.18 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) – हिन्दी वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300–34800) ग्रेड वेतन–4800 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक हिन्दी (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) – हिन्दी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यार्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगें:–

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता–पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
3. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क–2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
4. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

8. जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

9. **चयनित अभ्यिर्थी विभाग की वेबसाईट** http://education.rajasthan.gov.in/Secondary एवं http://rajrmsa.nic.in **से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।**

क. स.	रोल नं.	मेरिट नं	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	स्थाई पता	पदस्थापन स्थान (राउमावि)
1	409415	3160	SUNITA KALYAN	SAMDAR SINGH	13-06-1988	SC,WE, WD	SC,WE, WD	गांव गाडाखेडा वाया, चिडावा त. बुहाना –झून्झुनु	धारादास– झुंझुनूं
2	415465	2522	ASHA	SRI RAM SUTHAR	29-11-1990	BC,WE, DV.RG	BC,WE, DV.RG	चूरो का मोहल्ला, मेडतासिटी–नागौर	राउमावि मेडतासिटी–नागौर

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। **उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय ने दायर एसएलपी 672/18 मे प्रदत्त निर्णय दिनांक 29.01.2018 की पालना में दी जाती है इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29-06-2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।** उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक :– 22/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रमाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक **एफ.6(43) परीक्षा क/प्राध्यापक–(स्कूल शिक्षा) 12–13/926 दिनांक 08.06.2018** वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक वाणिज्य (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राधयापक (स्कूल शिक्षा)– वाणिज्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ–12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक(क–2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगें:–

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र,एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. **चयनित अभ्यिर्थी विभाग की वेबसाईट http://shiksha.rajasthan.gov.in/ से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।**

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4988/2015 दिनेश चन्द टेलर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा 78 अन्य रिट याचिकाओं मे पारित संयुक्त आदेश दिनांक

Scanned by CamScanner

22.09.2015 के विरूद्ध आयोग द्वारा दायर डीबी`सिविल स्पेशल अपील संख्या 1108/2015 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम दिनेश चन्द टेलर एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08 2017 के संबंध में लेख है कि आप द्वारा जारी नियक्ति आदेश डीपीसिविल स्पेशल अपील मे पारित ओदश के अध्याधीन रहेंगे । इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

क्र. सं.	मैरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथी	स्थाई पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला
1	1392	sc WE DV	NIDHI BAGHMAR	RAMSWARUP BAGHMAR	09.08.81	सावित्री सदन सिविल लाईन्स, नयापुरा कोटा	SCF DV	राउमावि रामगंजमंडी कोटा	कोटा

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–2/नियुक्ति–वाणिज्य/पीएससी–15/2017 दिनांक :–22/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय—आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक **एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक/ (स्कूल शिक्षा)/जीव विज्ञान, रसा.वि., हिन्दी व रा0वि0 /2015—16/109 दिनांक 8/5/18** वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक **जीव विज्ञान** (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)— **जीव विज्ञान** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ—1(12)डीओपी/ए—II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ—12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ—15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10. 2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियम पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक(क—2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

<u>संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:—</u>

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य नाम—उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस—अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए—2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना क्रिसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. **चयनित अभ्यिर्थी विभाग की वेबसाईट <u>http://education.rajasthan.gov.in/</u> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे ।**

Scanned by CamScanner

उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सिविल अपील संख्या 18303/2016 प्रियंका जैन बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.18 तथा शिमला यादव बनाम स्टेट के रिट सं0 9831/16 में दिए गये निर्णय के संदर्भ में की गई है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न आशार्थियों की सूची।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति–जीव विज्ञान/पीएससी–15/2018 दिनांक :– 22/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा / मा / संस्था / सी–4 / नियुक्ति–जीव विज्ञान / आरपीएससी–15 / 2018 दिनांक 22-6-18

क्र0सं0	मेरिट नं0	वर्ग	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पता	पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)	जिला
1	523	BC,WE, DV,RG.	ज्योति सैनी	श्री रामकिशन सैनी	11-05-1988	रेल्वे बंगला एल–382. नोर्थ ऐवेन्यू मार्ग हजारी बाग–अजमेर	G. HR. SEC.S. AASAN,JAWAJA (08210517601)	AJMER

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय–आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक **एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक/ (स्कूल शिक्षा)/जीव विज्ञान, रसा.वि., हिन्दी व रा0वि0 /2015–16/109 दिनांक 8/5/18** वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक **रसायन विज्ञान** (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)–**रसायन विज्ञान** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ–12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियम पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक(क–2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

<u>संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:–</u>

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. **चयनित अभ्यिर्थी विभाग की वेबसाईट <u>http://education.rajasthan.gov.in/</u> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे ।**

Scanned by CamScanner

उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सिविल अपील संख्या 18303/2016 प्रियंका जैन बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.18 तथा शिमला यादव बनाम स्टेट के रिट सं0 9831/16 में दिए गये निर्णय के संदर्भ में की गई है। एस0बी0 सिविल याचिका सं0 14814/17 लेखनी शर्मा बनाम सरकार पारित निर्णय दिनांक 06.02.18 के विरूद्ध शासन स्तर से आगे अपील दायर नही करनें का निर्णय लेने की पालना में नियुक्ति की गई है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
संलग्न आशार्थियों की सूची।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति–रसायन विज्ञान/पीएससी–15/2018 दिनांक :– 22/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति–रसायन विज्ञान/आरपीएससी–15/2018 दिनांक 22-06-18

क्र0सं0	मेरिट नं0	वर्ग	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पता	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जिला
1	748	GE,WE, DV	वन्दना कुमारी	नेकी सिंह	15-05-1993	गायत्री फोटो स्टेट, पुराना बिजलीघर, भरतपुर	GOVT ADARSH SR. SEC. SCHOOL, KHANDEVLA (08071000102)	BHARATPUR
2	798	GE,WE, DV	लेखनी शर्मा	पुष्कर राज शर्मा	12-10-1984	135, बसंत विहार, बांगड कॉलेज के सामने पाली	GOVERNMENT SENIOR SECODARY SCHOOLI,DEOLI (AUWA) PALI (08200607201)	PALI

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक **एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक/ (स्कूल शिक्षा)/अर्थशास्त्र(छात्र)/2015–16/111 दिनांक 8/5/18** वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक अर्थशास्त्र (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)– अर्थशास्त्र के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ–12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12. 2017 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियम पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक(क–2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगें:–

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. **चयनित अभ्यिर्थी विभाग की वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in/ से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे ।**

Scanned by CamScanner

उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के याचिका संख्या 16057/16 निर्णय दिनांक 04.04.2018 के अध्यधीन रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29 .06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

क्र. सं.	मैरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथी	स्थाई पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जिला
1.	178	Bc,we, wd	सपना कालेर	हरलाल कालेर	05-07-83	भारली,डेगाना, नागौर	OBCF	राउमावि, हनुमान नगर,	नागौर

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/नियुक्ति-**अर्थशास्त्र**/पीएससी-15/2017 दिनांक :- 28/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.8(9) परीक्षा क/प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान/2015–16/858, 859 दिनांक 10.06.2018 तथा 122/14.05.2018 व 109दिनांक 8.5.2018 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक राजनीति विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राधयापक (स्कूल शिक्षा)–राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ–12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12. 2017 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक(क–2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:–

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. **चयनित अभ्यिर्थी विभाग की वेबसाईट http://shiksha.rajasthan.gov.in/ से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विधालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।**

Scanned by CamScanner

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 18303/2016 प्रियंका जैन बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2018 तथा शिमला यादव बनाम स्टेट के रिट सं. 9831/17 में दिये गये निर्णय के संदर्भ में की गयी है । इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न– आशार्थियों की सूची।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–6/नियुक्ति–राजनीति विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक :–22/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner

क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–8/नियुक्ति–राजनीति विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक–22.08.2018

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (व्या0–राजनीति विज्ञान) राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	1392	BC WE DV RG	SEEMA TOGRA	RAMLAL JAT	15-08-1990	ग्राम–माधोगंज पोस्ट बासेडा, तहसील–टोडारायसिंह, जिला टोंक–304605	GENF DV	GOVT SR.SEC. SCHOOL SUNTHARA, UNIYARA, TONK	TONK
2	2136	BC WE WD	SHIMLA YADAV	GIRDHARI LAL YADAV	05-04-1987	प्लाट नं. 14, श्याम विहार, शिव मंदिर के सामने रेल्वे स्टेशन रोड, जयपुर	GENF	GOVT SR.SEC. SCHOOL MANPURA MACHEDI, AMBER, JAIPUR	JAIPUR
3	2153	BC WE WD	SUMAN	DUNI RAM	01-12-1989	गांव–मिर्जावाली मेर, तहसील–टिब्बी, जिला हनुमानगढ–332524	OBCF WD	GOVT. SR. SCE. SCHOOL, DHOLIPAL, HANUMANGARH	HANUMANGARH
4	2158	BC WE WD DC	MUNNI KUMAWAT	SURAJMAL KUMAWAT	15-07-1982	वार्ड नं. 2 पुरानी कोर्ट गली, खाटू मोड, रींगस – सीकर 332404	OBCF WD	GOVT. SR. SEC. SCHOOL BAJYAWAS, DANTARAMGARH, SIKAR	SIKAR
5	2193	ST WE DV	SUMITR A MEENA	RAMLAL MEENA	24-06-1986	गांव–घाटा, पोस्ट बेनाडा तह. बस्सी जिला जयपुर	STF	GOVT. SR. SEC. SCHOOL DIDAWATA-PHAGI, JAIPUR	JAIPUR

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान–बीकानेर

Scanned by CamScanner